FAQ (Frequently Asked Questions and their Answers)

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	नया K-लाईसेंस के लिए ऑनलाईन आवेदन कहाँ करें ?	ऑनलाईन K-लाईसेंस के लिए आवेदन खान एवं भूतत्व विभाग के साईट https://state.bihar.gov.in/mines पर उपलब्ध लिंक "**Click here for Registration of K-License** " पर क्लिक करके किया जा सकता है ।
2	ऑनलाईन K-लाईसेंस नवीनीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन कहाँ करें ?	ऑनलाईन K-लाईसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन खान एवं भूतत्व विभाग के साईट https://state.bihar.gov.in/mines पर उपलब्ध लिंक "**Click here for Renewal of K-License**" पर क्लिक करके किया जा सकता है ।
3	नए इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी बनने के लिए क्या करें ?	नए इच्छुक व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी बनने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग के साईट https://state.bihar.gov.in/mines पर उपलब्ध लिंक "**Click here for Registration of K-License** " पर क्लिक करके सबसे पहले प्रणाली में अपने प्रमाणित मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई0 डी0 के साथ पंजीकृत होना पडेगा । पंजीकरण की विश्वसनीयता के लिए दिये गये मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई0 डी0 पर प्रणाली द्वारा भेजे गये OTP को प्रविष्ट करना होगा । सत्यापन के बाद प्रणाली द्वारा जनित यूजर आई0 डी0 को भविष्य की उपयोगिता के लिए अपने पास लिख कर रख लेना होगा एवं प्रणाली द्वारा जनित पासवर्ड को रीसेट कर लेना होगा एवं इसे भी भविष्य की उपयोगिता के लिए अपने पास लिख कर रख लेना होगा । पुनः भविष्य की उपयोगिता के लिए संरक्षित यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड को खान एवं भूतत्व विभाग के साईट https://state.bihar.gov.in/mines पर नीचे उपलब्ध लिंक "**e - challan**" पर क्लिक करके दिये गये स्क्रीन में प्रविष्ट करके लॉगिन करना होगा । सफलता पूर्वक लॉगिन करने के बाद स्क्रीन के बाद बांयी ओर दिये गये **"Stockist Registration"** लिंक पर क्लिक करके आवेदन "फ़ॉर्म – A " को भरना होगा एवं साथ ही साथ आवश्यक दस्तावेजों को दिये गये उपयुक्त फिल्ड में अपलोड भी करना होगा। अंत मे आवेदन को "Save & Proceed" पर क्लिक करके प्रणाली के द्वारा आवेदन को आगे की कार्यवाही के लिए अग्रसित करना होगा । सफलता पूर्वक आवेदन जमा होने के बाद आवेदक को आवेदन शुल्क की जानकारी प्रणाली में प्रविष्ट करनी होगी एवं अंत में प्रणाली द्वारा जनित आवेदन संख्या को भविष्य की उपयोगिता के लिए अपने पास रखनी होगी । आवेदक को यह सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई0 डी0 पर भी प्राप्त हो जायेगी ।
4	नया K-लाईसेंस लेने के लिए आवेदन शुल्क क्या है ?	वर्तमान में नया K-लाईसेंस लेने के लिए आवेदन शुल्क 10,000/- रू0 मात्र है।
5	K-लाईसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क क्या है ?	वर्तमान में K-लाईसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क 2000/- रू0 मात्र है ।

6	ऑनलाईन प्रणाली में पंजीकरण के लिए आवश्यक क्या होगा ?	ऑनलाईन प्रणाली में पंजीकरण के लिए आवेदक का प्रमाणित मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई0 डी0 आवश्यक है जिसकी सफलता पूर्वक पुष्टी के बाद ही ऑनलाईन प्रणाली द्वारा सफल पंजीकरण हो पायेगा ।
7	ऑनलाईन प्रणाली में नया K-लाईसेंस निर्गत कराने के लिए अन्य आवश्यक जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज क्या है?	निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज आवश्यक हैं : 1. GST No. एवं स्कैन किया GST का दस्तावेज की प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)। आवश्यक्तानुसार । 2. स्टॉक स्थल का स्वामित्व प्रमाण दस्तावेज की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)) (उदाहरण : लीज ऐग्रीमेंट,यदि स्टॉक स्थल लीज ऐग्रीमेंट पर हो तो अथवा दाखिल- खारिज के प्रमाण की प्रति के साथ वर्तमान में कटाये गये रसीद की प्रति)। 3. स्टॉक स्थल का लिया गया फोटो की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)। 4. भूमि के नक्शे का स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)। 5. संबंधित जिले के डी0 एम0/ एस0 पी0/ एस0 डी0ओ0) द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)। 6. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भूमि के संबंध में समर्पित शपथ पत्र (भूमि का प्रकार, स्वामित्व, ऐग्रीमेंट के संबंध में शपथ पत्र) (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)। 7. नोटरी द्वारा निर्गत हलफनामा/शपथ पत्र संख्या एवं हलफनामा/शपथ पत्र की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)। (हलफनामा/शपथ पत्र में यह दर्शाया हुआ हो की आवेदक के पास पूर्व में किसी भी तरह का कोई विभागीय बकाया राशि ना हो) 8. जिस वर्ष के लिए K-लाईसेंस का आवेदन फॉर्म भरना चाह रहें हों, केवल उसी वर्ष को (दिये गये वर्ष के विकल्पों में) से चुनें । 9. हस्ताक्षर (jpg फॉर्मेट में केवल एवं जिसकी चौडाई 150 पिक्सेल एवं उँचाई 100 पिक्सेल से कम हो) 10. फोटो (jpg फॉर्मेट में केवल एवं जिसकी चौडाई 450 पिक्सेल एवं उँचाई 550 पिक्सेल से कम हो)
8	ऑनलाईन प्रणाली में K-लाईसेंस नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?	निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज आवश्यक हैं : 1. GST No. एवं स्कैन किया GST का दस्तावेज की प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो) आवश्यक्तानुसार । 2. PAN नम्बर एवं स्कैन किया PAN कार्ड की प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो) आवश्यक्तानुसार ।

		3. स्टॉक स्थल का स्वामित्व प्रमाण दस्तावेज की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो) (उदाहरण : लीज ऐग्रीमेंट,यदि स्टॉक स्थल लीज ऐग्रीमेंट पर हो तो अथवा दाखिल- खारिज के प्रमाण की प्रति के साथ वर्तमान में कटाये गये रसीद की प्रति)। 4. स्टॉक स्थल का लिया गया फोटो की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)। 5. भूमि के नक्शे का स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)। 6. संबंधित जिले के डी0 एम0/ एस0 पी0/ एस0 डी0ओ0) द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)। 7. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भूमि के संबंध में समर्पित शपथ पत्र (भूमि का प्रकार, स्वामित्व, ऐग्रीमेंट के संबंध में शपथ पत्र) (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)। 8. स्टॉक रजिस्टर की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो) 9. अनुज्ञप्तिधारी के रिटर्न दस्तावेज की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो) 10. यदि अनुज्ञप्तिधारी पर पिछले 1 वर्ष में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज हो या FIR हुआ हो तो उसका जवाब हाँ या नहीं में चुनें । यदि “हाँ” विकल्प चुनते हों तो FIR दस्तावेज के स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो) को अपलोड करें । यदि विकल्प का चुनाव “नहीं” हो तो गैर- आपराधिक शपथ पत्र की संख्या एवं शपथ पत्र की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो) को अपलोड करें । 11. नोटरी द्वारा निर्गत हलफनामा/शपथ पत्र संख्या एवं हलफनामा/शपथ पत्र की स्कैन प्रति (pdf फॉर्मेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो)।

		(हलफनामा/शपथ पत्र में यह दर्शाया हुआ हो की आवेदक के पास पूर्व में किसी भी तरह का कोई विभागीय बकाया राशि ना हो) 12. जिस वर्ष के लिए K-लाईसेंस नवीनीकरण का आवेदन फॉर्म भरना चाह रहें हों, केवल उसी वर्ष को दिये गये वर्ष के विकल्पों में से चुनें । 13. हस्ताक्षर (jpg फॉर्मेट में केवल एवं जिसकी चौडाई 150 पिक्सेल एवं उँचाई 100 पिक्सेल से कम हो) 14. फोटो (jpg फॉर्मेट में केवल एवं जिसकी चौडाई 450 पिक्सेल एवं उँचाई 550 पिक्सेल से कम हो)
9	नए ऑनलाईन प्रणाली में आवेदन की स्थिति का पता कैसे होगा ?	नए ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से आवेदन जमा करते ही SMS और ई-मेल के माध्यम से आवेदन के वर्तमान स्थिति की सूचना समय अंतराल पर प्राप्त होती रहेगी । इसके अलावे प्राप्त यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड की सहायता से प्रणाली मे लॉगिन करने पर **“View Application Status”** में आवेदन के अद्धतन स्थिति को देखा जा सकता है ।
10	क्या होगा यदि आवेदन फॉर्म गलत भरा गया हो?	आवेदक को दिये गये आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा । यदि आवेदक एक बार आवेदन फॉर्म में उपलब्ध “Save & Proceed” बटन पर क्लिक करता है तो उसे भरे गये आवेदन एवं किये गये आवश्यक अपलोड को देखने का मौका मिलता है । यदि आवेदक को लगता है की आवेदन फॉर्म में उपलब्ध कराई गयी सूचना में कोई त्रुटि है तो वह दुबारा से आवेदन फॉर्म पर आकर सुधार कर सकता है । भरे हुए आवेदन के preview स्क्रीन की एक बार पुष्टि कर देने पर यह माना जायेगा की आवेदक द्वारा दी गयी सारी सूचना सही है ।
11	कितने दिनों में कार्य का निष्पादन हो जायेगा ?	15 कार्य दिवस में ।
12	यदि 15 दिनों में कार्य का निष्पादन न हो तो ?	इस स्थिति में आवेदक को आवेदन के विवरण के साथ विभाग से पत्राचार के माध्यम से सूचना प्राप्त करनी होगी ।
13	आवेदन शुल्क का भुगतान का प्रकार क्या है ?	वर्तमान में भुगतान ऑफलाईन मोड मे होगी जिसमें आवेदक को OGRAS द्वारा किये गये भुगतान का विवरण एवं भुगतान की प्रति को प्रणाली में प्रविष्ट करना होगा ।